(ख) उन छात्रों के मामले में जिनके माता-पिता/ अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 33,400/-रु० प्रति वर्ष से अधिक है, परन्तु 44,500/-रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं और जो निम्नलिखित अध्ययन कर रहे हैं:-

(i) समूह "क" में पाठ्यक्रम	-तदैव-
(ii) समूह "ख", "ग", "घ" और ड़० में पाठ्यक्रम	आधा अनुरक्षण भत्ता और पूरी फीस
(ग) उन छात्रों के मामले, में जिनके माता-पिता/ अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 44,500/-रु० प्रतिवर्ष से अधिक है	कोई छात्रवृत्ति नहीं

नोट-1 जब तक माता-पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेरोजगार छात्रा के मामले में पति) जीवित है, तब तक केवल माता-पिता/पति (जैसी भी स्थिति हो) की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही लिया जाएगा न कि अन्य सदस्यों की आय को चाहे वे कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस परिस्थिति में जबकि माता-पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार छात्रा की स्थिति में पति) की मृत्यु हो जाती है तो उस अभिभावक की आय को लेना होगा जो विद्यार्थी के अध्ययन में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी (एक की मृत्यु) के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत निर्धारित आय सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति के पात्र बन जाएंगे बशर्ते कि वे पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हैं। ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को समाप्त होने के बाद भी विचार किए जा सकते हैं।

नोट-2 विद्यार्थी के माता-पिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मकान किराए भत्ते को "आय" में शामिल नहीं किया जाएगा यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए भी शामिल नहीं किया जाता।

नोट-3 आय प्रमाण पत्र केवल एक बार लिए जाने की आवश्यकता है अर्थात एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिला के समय।